LOK SABHA

Wednesday, April 25, 1984/
Vaisakha 5, 1906 (Saka)

———

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

MR. SPEAKER : Mr. Mangal Ram Premi.

SHRIMATI PRAMILA DANDAVATE : I have given notice under rule....

MR. SPEAKER : I have disalllowed it.

*(Interruptions)***

MR. SPEAKER : Nothing doing. Absolutely nothing going on record without my permission.

*(Interruptions)***

MR. SPEAKER : There is a discussion on the same Bill. You can then do whatever you like.

*(Interruptions)***

MR. SPEAKER : Not allowed. I have not allowed a single word.

*(Interruptions)***

**Not recorded.

श्री राम विलास पासवान : मैंने भी एक नोटिस दिया था, क्या वह भी रिजैक्ट कर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : जी हां, आपके साथ मैं कैसे डिस्क्रिमिनेशन कर सकता था ? सवाल ही पैदा नहीं होता ।

(व्यवधान)

सीमेंट के आयात पर रोक

*800. **श्री मंगल राम प्रेमी**

श्री जगपाल सिंह :

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीमेंट के आयात पर रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम उठाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा करने में क्या कठिनाई है ?

उद्योग मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सीमेंट के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने अथवा अन्यथा रोक लगाने पर सीमेंट की अनुमानित मांग और पूर्ति के आधार पर विचार किया जाता है ।

विगत समय में सीमेंट के आयात की अनुमानित मांग और देश में उत्पादन के अन्तर के कुछ अंश को पूरा करने के लिए दी गई थी। विद्यमान क्षमता का बेहतर उपयोग करके तथा अतिरिक्त क्षमता की स्थापना के लिए स्वीकृति देकर जिससे अन्त में जाकर आयात बन्द हो सके, सीमेंट की मांग और उत्पादन के अन्तर को कम करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे सीमेंट का यथासंभव कम से कम आयात करना पड़े।

श्री मंगल राम प्रेमी : अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग मंत्री जी से पूछना चाहता हूं पहले ही किसानों और छोटे-छोटे मजदूरों के लिए सीमेंट की किल्लत रहती है, उनको एक बोरा सीमेंट मिलना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन सरकार की नीति है कि सीमेंट का निर्यात बन्द किया जाए, क्या सरकार सीमेंट की आयात और निर्यात नीति में फेर-बदल करने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो यह फेर-बदल कब तक किया जाएगा?

देश में सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए और कारखाने लगाने तथा आम जनता को आसानी से सीमेंट दिलाने हेतु क्या सरकार कोई ठोस कदम उठायेगी? इसका मंत्री महोदय पूर्ण विवरण दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी : शासन का विचार सीमेंट के आयात को रोक देने का नहीं है, जैसा कि मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट किया है। हमारा यह प्रयास रहा है कि सीमेंट का उत्पादन बढ़ाया जाये। छठी योजना में लगभग 2 करोड़ टन नये सीमेंट को उत्पादित करने की क्षमता बनाने का कार्यक्रम पूरा हो चुका है। सीमेंट का उत्पादन 1983-84 में 1,80 लाख टन से बढ़ कर 2,70 लाख टन होने की पूरी सम्भावना है। इसका अर्थ यह है कि पिछले चार सालों में सीमेंट का उत्पादन लगभग 90 लाख टन बढ़ा है। सीमेंट की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के लिए और अधिक प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिला कर 3,50 लाख टन क्षमता या तो लाइसेंस कर दी गई है, या उसके लिए लैटर्ज आफ इनटेन्ट दिए गए हैं, या डी. जी. टी. डी. के अन्तर्गत उनका रजिस्ट्रेशन कर दिया गया है, जिनमें मिनी सीमेंट प्लांट भी शामिल है।

अगले वर्ष लगभग 3,80 लाख टन सीमेंट की आवश्यकता अनुमानित की गई है। उसके विपरीत उत्पादन 3,20 लाख टन सम्भावित है। इस लिए आवश्यकता की पूर्ति में लगभग 50 लाख टन की कमी रह जाती है। इसी कारण सीमेंट का आयात भी किया जाता है। पिछले सात आठ सालों में आयात किया गया है। आयात को कम करने की सम्भावना तब होगी, जब हमारी उत्पादन क्षमता के आधार पर उत्पादन और अधिक होने लगेगा, जिसके लिए नये सीमेंट कारखानों के लिए आशय-पत्र दिए गए हैं या लाइसेंस दिए गए हैं, या आशय-पत्र लाइसेंस में परिवर्तित किए गए हैं, या डी. जी. टी. डी. के यहां रजिस्ट्रेशन हुआ है। उस स्थिति में आयात को बन्द करने पर अवश्य विचार किया जा सकता है।

श्री मंगल राम प्रेमी : क्या मन्त्री महोदय नए यूनिटों के नाम सभा-पटल पर रखेंगे, जिनको लाइसेंस दिए जा रहे है? क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, या उत्तर प्रदेश के किसी भाग में सीमेंट के नए कारखाने लगाए जा रहे हैं? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब-करीब सब पहाड़ी एरिया है। वहां

के पत्थर की जांच की जाए कि क्या वह सीमेंट बनाने के योग्य है। क्या सरकार के पास पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई सीमेंट कारखाना लगाने की कोई योजना है; यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

एक माननीय सदस्य : और यदि है, तो क्यों ?

श्री मंगल राम प्रेमी : क्या मन्त्री महोदय के पास कोई योजना है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कारखाना लगाया जाए ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : यह सूचना मेरे पास है कि किन-किन नए यूनिटों को आशयपत्र या लाइसेंस दिए गए हैं और मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे सदन के पटल पर रखने के लिए प्रस्तुत हूँ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य की प्रसन्नता का भी ध्यान रखें।

श्री नारायण दत्त तिवारी : जहां तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने लगाने का प्रश्न है, वहां लाइम-स्टोन, चूने का पत्थर, उपलब्ध नहीं है, इसलिए वहां सीमेंट के कारखाने लगाने में कठिनाई होती है। लेकिन देहरादून में, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़ा पर्वतीय क्षेत्र का एक जिला है, सीमेंट के कारखाने के लिए आशयपत्र दिए गए हैं, जिनमें 4 लाख टन के एक और मिनी सीमेंट प्लांट का आशयपत्र भी है।

DR. KRUPASINDHU BHOI : The Minister has replied that in the 6th Five Year Plan 20 million tonnes of installed capacity will be increased over and above existing one. He has also told that licences for 85 million tonnes have been given to different concerns to install cement plants in the country. Will the Minister reply whether this 85 million tonnes installed capacity will be added within the Seventh Five Year Plan, or how much more in the Sixth Five Year Plan ? He has to answer that. Secondly, has his Ministry taken cognizance of the report of the Geological Survey of India about the total deposits of limestone of cement grade throughout the country and has his Ministry analysed it to see whether this can be utilised for installing major or minor cement plants ? Has his Ministry demarcated zones of limestone in the country and in which areas the capacity can be installed ? Only 1.7 million tonnes of capacity was added in the Fifth Five Year Plan and only 10 million tonnes was the increase in the capacity in four years. Is it possible for his Ministry to instal another 10 million tonnes capacity within the next few years ?

MR. SPEAKER : Put a simple suplementary so that the Minister can reply to it.

The hon. Minister can answer any question.

SHRI NARAYAN DATT TIWARI: I mentioned the figure of 85 million tonnes for new capacity, or the total capacity, to come up in the future. The existing installed capacity is 36.89 million tonnes. The capacity covered by industrial licence that is, letters of intent converted as industrial licences is 11.16 million tonnes. Capacity covered by letters of intent is 35.73 million tonnes. DGTD registration for mini cement plants is 2.35 million tonnes. That comes to 85.73 million tonnes. Now, by the end of the Seventh Five Year Plan it is expected that 17.84 million tonnes capacity is expected to be added, takining the total installed capacity, by the end of the Seventh Five Year Plan that is 1989-90, to 62 million tonnes. The rest of it, out of the 85 million tonnes would go over to the Eight Five Year Plan.

As for as the hon. Member's reference to the report of the Geological Survey is concerned, the point is well taken. We always do take it into account. Without that we cannot have new cement plants and I hope the Working Group on the Seventh Five Year Plan will certainly take into consideration the report of the Geological Survey of India.

MR. SPEAKER : Shrimati Pramila Dandavate. That is the last of it.

श्रीमती प्रमिला दण्डवते : पांच मिलियन टन सीमेंट की कमी की बजह से देश को आयात करना पड़ेगा, यह आप ने कहा है। तो सीमेंट का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए में इतना ही पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र में कितने प्रोजेक्ट्स आपने तय किए हैं कि जिससे महाराष्ट्र में इस प्रकार के कारखाने लग सकें ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सीमेंट में वहां घपला बहुत होता है, महाराष्ट्र को जरूरत नहीं है। ...

श्री नारायण दत्त तिवारी : मेरे पास महाराष्ट्र के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं हैं। मैं माननीय सदस्य महोदया के पास बाद में भेज दूंगा।

Benefits to Scheduled Castes and Tribal Communities

*801. SHRI A. C. DAS : Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there is a general complaint the comparatively better off scheduled caste communities and tribal communities are getting major benefits given by Government to SC/ST ;

(b) if so, whether Government are thinking seriously to study these problems and try to solve them ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRIMATI RAM DULARI SINHA) : (a) and (b) No such general complaint has come to notice. The bulk of the scheduled castes and scheduled tribes are poor and in all developmental efforts it is Govt.'s endeavour to bring up those who are below the poverty line. means test has also been prescribed for certain schemes so that benefits go to the really deserving. The Ministry has, however, entrusted some studies on the socio-economic development of the scheduled castes in some areas of Uttar Pradesh and West Bengal and the final reports are awaited.

SHRI A. C. DAS : As you know, in our country we have got about 949 Scheduled Caste and 605 Scheduled Tribes communities included in the list of different States and Union Territories having total population of 10.48 crores and 5.16 crores respectively according to 1981 census. Among these communities some communities are backward, some are less backward and some are little advanced. For example, among the Scheduled Castes some are untouchables and some Scheduled Caste communities are advanced, Similar cases are also found in the case of Scheduled Tribe communities. In this connection, I would like to know from the hon. Minister whether there is any categorisation according to their status particularly referring to their socio-economic condition in respect of Scheduled Caste and Scheduled Tribe communities ?

SHRIMATI RAM DULARI SINHA : The main thurst during the Sixth Plan has been to raise the economic level of the Scheduled Caste and Scheduled Tribe families through specific family benefiting programmes, so as to bring them above the poverty line eventually. For assistance under these programmes the norms adopted under the Integrated Rural Development Programme have been adopted. Assistance has been extended to families whose income level is Rs. 3500 or less as per the Integrated Rural Development Programme norm. So, those communities of Scheduled Castes and Scheduled